

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/912 /

जबलपुर, दिनांक 21/03/2022

श्री लक्ष्मण प्रसाद बैगा, नवगठित सेवा के सदस्य (खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को पात्रतानुसार दिनांक 17.12.2021 से 26.12.2021 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 05.01.2022 से 09.01.2022 तक 5 दिन का लघुकृत अवकाश तथा दिनांक 27.12.2021 से 29.12.2021 तक 3 दिन एवं दिनांक 10.01.2022 से 13.02.2022 तक 35 दिन (कुल 38 दिन) का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। एवं दिनांक 14.02.2022 को कर्त्तव्य पर उपस्थिति हो जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/346 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा दिनांक 17.12.2021 से रोके गये वेतन में से उपरोक्त अवैतनिक अवकाश का वेतन कटौती पश्चात् शेष अवधि का वेतन भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही / -

(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/913 /

जबलपुर, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री लक्ष्मण प्रसाद बैगा, नवगठित सेवा के सदस्य (खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)  
21/3/2022  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)